संख्या 1/23/2012–पी0 एंड पी0 डब्ल्यू(ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी मंजिल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली
दिनांक – 13.09.2012

कार्यालय ज्ञापन

विषयः कुटुम्ब पेंशनभोगियों की जन्मतिथि/आयु में परिवर्तन के संबंध में।

इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ए) दिनांक 21.05.2009, 11.08.2009, 25.06.2010 और 28.09.2010 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/19/11– पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई) दिनांक 03.08.2011 के अनुसार जारी अनुदेशों के अनुसरण में, वृद्ध पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन पेंशन अदायगी आदेश (पी.पी.ओ.) अथवा अन्य कार्यालय रिकार्डों में दर्ज जन्मतिथि/आयु के आधार पर दी जाती है। केवल उन मामलों में जिनमें जन्मतिथि/आयु से संबंधित विवरण पी.पी.ओ./कार्यालय रिकार्डों में उपलब्ध नहीं है, वृद्ध पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन/परिवार पेंशन कुछ विशेष रिकार्डों जैसे पैन कार्ड, मैट्रिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए आधार नम्बर के आधार पर दिए जाने की अनुमति दी गई है।

2. एक सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के समय उसके परिवार का विवरण, जिसमें उसके सदस्यों की जन्मतिथि शामिल है, फार्म – 3 में दिया जाना अपेक्षित है। फार्म – 3 में सरकारी कर्मचारी द्वारा परिवार के सदस्यों की उल्लेखित जन्मतिथि/आयु को कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य नहीं था। ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ मामलों में किसी परिवार पेंशनभोगी की पी.पी.ओ./कार्यालय रिकार्डों में दर्ज की गई जन्मतिथि/आयु गलत हो सकती है।

3. पी.पी.ओ. में जन्मतिथि/आयु के गलत दर्ज होने के कारण अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने में वृद्ध परिवार पेंशनभोगियों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाई के संबंध में इस विभाग में कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। वे ऊपर पैरा – 1 में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर पी.पी.ओ. में जन्मतिथि में परिवर्तन किए जाने की स्वीकृति देने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।

4. मामले पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के परामर्श में इस विभाग में विचार किया गया है तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:–

क) चूंकि, सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि पी.पी.ओ. में सेवा रिकार्डों के आधार पर दर्ज की जाती है और अधिवर्षिता आदि की तारीख भी इस जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसलिए पी.पी.ओ. में सेवानिवृत्त/दिवंगत पेंशनभोगी की जन्मतिथि में परिवर्तन करने की अनुमति देने का प्रश्न नहीं उठता है।

ख) किसी पेंशनभोगी/परिवार पेशनभोगी द्वारा पी.पी.ओ. में परिवार पेंशनभोगी (माता–पिता और पति/पत्नी) की जन्मतिथि/आयु के परिवर्तन के लिए अनुरोध ऊपर पैरा – 1 में उल्लिखित कम से कम एक दस्तावेज तथा परिवार पेंशनभोगी की सही जन्मतिथि के बारे में गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर घोषणा सहित उस संगठन के विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जा सकता है जहां सरकारी कर्मचारी अंतिम बार सेवा कर रहा था। विभागाध्यक्ष परिवार पेंशनभोगी की जन्म तिथि में परिवर्तन की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08– पी.एंड पी.डब्ल्यू (ए) दिनांक 21.05. 2009 में निर्देशित शर्तें पूरी कर ली गई हैं और यह कि पी.पी.ओ. में जन्मतिथि को दर्ज करने में वास्तव में त्रुटि की गई है।

ग) पी.पी.ओ. में परिवार पेंशनभोगी की जन्मतिथि/आयु में परिवर्तन की अनुमति देने के लिए कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ) पी.पी.ओ. में गलत जन्मतिथि के दर्ज होने की किसी संभावना को रोकने के लिए, भविष्य में सरकारी कर्मचारी के लिए फार्म – 3 में परिवार के विवरण सहित पति/पत्नी अथवा माता–पिता की जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में ऊपर पैरा – 1 में निर्देशित दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बच्चों के मामलें में नगर निगम प्राधिकारियों अथवा स्थानीय पंचायत अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुख्य से, यदि बच्चा ऐसे किसी विद्यालय में अध्ययन कर रहा है अथवा किसी शिक्षा बोर्ड से प्राप्त जन्म प्रमाणपत्र स्वीकार किया जा सकता है।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभागों से संबंधित पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श के बाद जारी किए गए हैं।

6. यह वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा उनके आई.डी. संख्या 428/ई.v/2012 दिनांक 27.08.2012 के अनुसार उनकी सहमति से जारी किया गया है।

सुजाशा चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)
उपसचिव, भारत सरकार
फोनः 24635979

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/पेंशनभोगी एसोसिएशन महालेखा नियंत्रक, लोकनायक भवन, नई दिल्ली।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय।